**<u>न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर</u>**

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.)

दीवानी मूल प्रकरण संख्या – 22/2020

शिवलाल बनाम गोपीलाल वगैरह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया, जिसकी नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई गई। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।<br><br>प्रार्थना पत्र में वादी की ओर से कथन किया गया है कि विवादित शून्य बेचान दस्तावेज का रजिस्टर्ड बेचान प्रतिवादी संख्या 5 दुर्गली के नाम से निष्पादित किया गया है। बेचान दस्तावेज मूल प्रतिवादी सं. 5 के कब्जे एवं शक्ति में है। दावा हाजा साक्ष्य वादी की स्टेज पर नियत है एवं साक्ष्य वादी के लिए मूल बेचान दस्तावेज की आवश्यकता है। उक्त प्रतिवादी ने उक्त दस्तावेज निष्पादित किए जाने को स्वीकार किया है। उक्त प्रतिवादी ने जवाब दावा के साथ मूल दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे उक्त दस्तावेज मूल पेश करने के लिए मंगाये जाने हेतु आवेदन पेश है। अतः प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि बेचान संख्या 202001177001330 दिनांक 11.06.2020 उप पंजीयक, डेगाना के समक्ष निष्पादित को प्रतिवादी संख्या 5 से मूल तलब करने हेतु आदेश फरमावे।<br><br>उक्त प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई गई, जिनकी ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश नहीं करते हुए सीधे मौखिक बहस सुनाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आधारहीन होना बताते हुए तर्क दिया कि विवादित विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति वादी | |

उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र मात्र विलंब कारित करने के लिए पेश किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वकील वादी ने दौराने बहस तर्क दिया कि जब मूल अस्तित्व में है, तब उसका द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मूल विक्रय विलेख तलब किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 5 से तलब किया जावे।

सुना गया एवं बहस के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी ने विक्रय विलेख को शून्य घोषित करवाने के लिए वाद पत्र पेश किया है। उक्त विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में निष्पादित किया गया है। उक्त विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति वादी उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त करके साक्ष्य में पेश कर सकता है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य होगी। ऐसी स्थिति में मूल विक्रय विलेख प्रतिवादी से तलब करवाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 02.04.2026 को पेश हो।